APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

हंसराज वगै. बनाम रेखा देवी वगै.

किस्म मुकदमा 225 RTA मुकदमा नं. 33/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/07/22	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। रेस्पो0 1 , 2 , 3 व 6 की और से श्री आशीष जैन एड0 ने बकालत नामा पेश किया। शामिल मिसल किया गया। अपीलांट एड0 का कथन रहा कि विवादित आराजी नाले की आराजी है। जिस पर रेस्पो0 नाजायज रूप से निर्माण करने पर आमादा है। बरसात का समय है। यदि रेस्पो0 द्वारा नाजायज निर्माण कर दिया जाता है तो आमजन को परेशानी होगी। रेस्पो0 एड0 ने जबाब मे तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को जारी अन्तरिम आदेश को निरस्त करने पर उसके विरूद्व की गई है। जिसकी अपील पोषनीय नही है। अतः अपीलांट की अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज फरमाई जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश का मनन किया। अपीलांटान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इस आदेश की अपील पूर्व मे भी इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी। जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा 2 माह मे उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी। चूकि अपीलांटान द्वारा पुनः इस आदेश की अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांधीन आदेश अन्तरिम आदेश निरस्त करने के विरूद्व की गई है। जो विधि अनुसार अपील योग्य नही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner